

सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी

| क्रमांक | प्रशिक्षण समूह | समूह अंतर्गत आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | समूह 'ए'       | भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ                                                                                      |
| 02      | समूह 'बी'      | प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड /केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग/आई.बी.पी.एस./रेल्वे एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ                                            |
| 03      | समूह 'सी'      | विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक/स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा जे.ई.ई. मेन्स/नीट/ गेट/केट/क्लेट /सी.ए./सी.एस. एवं अन्य समकक्ष प्रवेश परीक्षाएँ |
| 04      | समूह 'डी'      | अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ जो कि समूह 'ए', 'बी' एवं 'सी' में सम्मिलित नहीं हैं।                                                                                                                                               |

  
अनुमान अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक  
कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

  
सहायक संचालक,  
राज्य स्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल

सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना नियम अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा समूहों के लिए प्रतिछात्र निर्धारित अधिकतम प्रशिक्षण शुल्क की जानकारी -

| क्र. | प्रशिक्षण समूह | समूह अंतर्गत आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ                                                                                                                                         | प्रशिक्षण शुल्क प्रति छात्र संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए रुपये                                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | समूह 'ए'       | भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ                                            | प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000/- तक (संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि) |
| 02   | समूह 'बी'      | प्रोफेश्नल एक्जामिनेशन बोर्ड /केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग/आई.वी.पी.एस./रेल्वे एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ | प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 20,000/- तक (संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि) |
| 03   | समूह 'सी'      | विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक/स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा                                           | प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000/- तक (संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि) |

|    |              |                                                                                              |                                                                                                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | यथा जे.ई.ई. मेन्स/नीट/<br>गेट/केट/क्लेट<br>/सी.ए./सी.एस. एवं अन्य<br>समकक्ष प्रवेश परीक्षाएँ |                                                                                                                 |
| 04 | समूह<br>'डी' | अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ जो<br>कि समूह 'ए', 'बी' एवं 'सी'<br>में सम्मिलित नहीं हैं।          | प्रशिक्षण संस्था द्वारा<br>प्रस्तावित प्रशिक्षण<br>शुल्क अधिकतम सीमा<br>20,000/- तक (संपूर्ण<br>प्रशिक्षण अवधि) |

  
**अनुभाग अधिकारी**  
 मध्य प्रदेश शासन,  
 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक  
 कल्याण विभाग  
 मंत्रालय, भोपाल

  
**सहायक संचालक,**  
 राज्य स्तरीय रोज.एवं प्रशि.केंद्र,  
 (पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल